क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 342, शुक्रवार, 11 जनवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बेला भाटिया का जेल के सामने सत्याग्रह करना दुःखद- भूपेश बघेल

रायपुर। सामाजिक कार्यकर्ता एवं वकील बेला भाटिया 2 जनवरी की रात जगदलपुर जेल के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई थीं। कारण ये था कि जेल के अंदर बंद उनके तीन क्लाइंट के पेशी की तारीख नहीं बताई जा रही थी। जिससे नाराज होकर बेला भाटिया ने जेल के बाहर ही धरना देने का निर्णय किया। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर बेला भाटिया का जेल के सामने सत्याग्रह करने को दुखद बताया है। उन्होंने लिखा है कि , प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया को कल जेल परिसर में सत्याग्रह करने को मजबूर होना पड़ा। यह बेहद दुखद है। कांग्रेस की सरकार सभी सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी को भविष्य में ऐसी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

भारतीय सेना में गे को शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकतेः आर्मी चीफ

नेशनल डेस्क। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना की मानसिकता कंजरवेटिव है इसलिए गे समुदाय के लोगों को या व्यभिचार को अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया फिर भी आर्मी चीफ ने जोर देकर कहा कि, हम लोगों के यहां यह नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आर्मी कानून से बढ़कर नहीं है लेकिन संविधान द्वारा सेना को कुछ छूट जरूर दी जानी चाहिए। न ही हम लोग आधुनिक हैं और न ही हमारा पश्चिमीकरण हुआ है। एलजीबीटी का मुद्दा हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। आर्मी चीफ ने अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति को और सुधारने की जरूरत है] अभी भी सीमा पर 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि वहां कितने आतंकी मारे गए इससे सफलता तय नहीं होती है, जब भी आतंकी मरता है तो वहां के लोग उनकी तारीफ करते हैं और उनके हक में खड़े होते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर में हिंसा होती रहेगी, अगर आतंकी मरेंगे तो नए आतंकी आएंगे, कश्मीर में शांति के लिए इसे रोकना होगा। रावत ने तालिबान के साथ वार्ता पर कहा कि अफगानिस्तान में हमारे हित हैं, हम इससे अलग नहीं हो सकते। तालिबान मामले की तुलना जम्मू कश्मीर से नहीं की जा सकती। राज्य में हमारी शर्तों पर ही बातचीत होगी।

दिल्लीः प्रदूषण से 16 प्रतिशत लोग डिप्रेशन का शिकार, 71 प्रतिशत नहीं मानते सांस लेने लायक हवा

नई दिल्ली। तेज हवाओं की वजह से दिल्ली-एनसीआर के बिगड़ी हवा में थोड़ा सुधार हुआ है। 'गंभीर' और 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने वाला प्रदूषण स्तर 'खराब' श्रेणी तक आ गया है। वहीं ऊर्जा (युनाइटेड रेजिडेंट्स जॉइंट ऐक्शन ऑफ दिल्ली) और एआरके फाउंडेशन के एक जॉइंट सर्वे के अनुसार दिल्ली में रहनेवाले 43 पर्सेंट लोग मानते हैं कि 2018 में प्रदूषण की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। वहीं 58 पर्सेंट लोगों के अनुसार प्रदूषण का उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। यह सर्वे दिल्ली की 10 सबसे प्रदूषित जगहों आनंद विहार, अशोक विहार, द्वारका, आईटीओ, लोदी रोड, पटपड़गंज, रोहिणी, आरके पुरम, सीरीफोर्ट और बवाना में किया गया। 93 पर्सेंट लोगों को एक्यूआई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रदूषण की वजहों में 40 पर्सेंट लोग पावर प्लांट को मानते हैं। 32 पर्सेंट लोग कंस्ट्रक्शन, 29 पर्सेंट एसी और गाड़ियों को इसकी वजह बता रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक इस प्रदूषण की वजह के डर से 9 पर्सेंट लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया जबकि 16 पर्सेंट लोग प्रदूषण की वजह से डिप्रेशन में हैं। वहीं 71 पर्सेंट लोगों अब भी इस हवा को सांस लेने लायक नहीं मानते। 50 पर्सेंट लोगों का कहना कि प्रदूषण की वजह से उनके बच्चों को फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां का सामना करना पड़ रहा है।

कश्मीर राजमार्ग पर एक-तरफा यातायात जारी

श्रीनगर। जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर जाने वाले राजमार्ग पर भारी हिमपात के बाद बर्फ जमने की वजह से हल्के मोटर वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गयी है जबकि भारी मोटर वाहनों की आवाजाही अपराह्न एक बजे से शुरू होगी। यातायात पुलिस अधिकारी के अनुसार कश्मीर को लद्दाख क्षेत्र से जोडने वाले एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग को हिमपात के कारण पिछले एक महीने से बंद रखा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि इन सडकों पर भूस्खलन के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है तथा सडकों पर जाम लग जाता है, इसके कारण अधिकारियों ने यातायात जारी रखने के लिए हल्के तथा भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की है। उन्होंने कहा कि एक-तरफा यातायात के कारण सुबह के वक्त हल्के मोटर वाहनों की आवाजाही होगी तो भारी मोटर वाहनों को दोपहर बाद जाने की अनुमति मिलेगी। हल्के मोटर वाहन दोपहर बाद एक बजकर 30 मिनट तक ऊधमपुर पार जाएंगे। भारी वाहनों को दोपहर बाद एक बजे से सात बजे के बीच ऊधमपुर जाने की अनुमति होगी। इसी के साथ समय सीमा खत्म होने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही उप रहेगी जिसके कारण सैकड़ों गाडियां, तेल के टैंकर ऊधमपुर में ही खड़े रहेंगे ।

चार माह से नहीं मिली पेयजल की आपूर्ति, महिलाओं ने लगाई प्रशासन से गुहार

कठुआ । पी.एच.ई. विभाग के अस्थायी कर्मियों की जारी काम छोड़ों हड़ताल का असर पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। गांव खनियारा में पिछले चार माह से लोगों को पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। आपूर्ति की मांग को लेकर महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को डी.सी. कार्यालय पहुंचकर डी.सी. रोहित खजूरिया से उनकी समस्या के समाधान की गुहार लगाई।ग्रामीण महिला शकुंतला, पिंकी देवी ने कहा कि पिछले करीब चार माह से उन्हें पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। पेयजल आपूर्ति न मिलने से लोगों को घरेलू काम के साथ साथ अन्य कार्यों को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मियों की भी हड़ताल है लेकिन पेयजल आपूर्ति भी जरूरी है। वहां जो कर्मी तैनात है वे कहता है कि वे चार-पांच ट्यूबवेलों का संचालन करता है। ऐसे में उनका नंबर कभी कभार ही आता है। वहां जो कर्मी तैनात है वे कहता है कि वे चार-पांच ट्यूबवेलों का संचालन करता है। ऐसे में उनका नंबर कभी कभार ही आता है।

द इनसाइड स्टोरीः बने रणदीप सुरजेवाला जींद के उम्मीदवार!

जालंधर ।

जींद का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। विभिन्न दलों द्वारा खासकर कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव में रस भर दिया है। अब यह मामूली उपचुनाव नहीं रहा जिसके बारे आम धारणा यह थी कि उप-चुनाव में सरकारें हावी रहती हैं। समीकरण ऐसे बने हैं कि सरकार की भी साँसें फूल जाएंगी। वास्तव में जब तक नतीजे नहीं आते सबकी सांस अटकी रहेगी। खैर ये बातें बाद में करेंगे फिलहाल सुरजेवाला की उम्मीदवारी की चर्चा कर लेते हैं। पंजाब केसरी के सूत्रों के मुताबिक यह सब राहुल गाँधी के अड़ जाने से हुआ है। दरअसल जींद में उपचुनाव की टिकट हरियाणा कांग्रेस के सभी धड़े एक निर्दलीय विधायक के बेटे को देने के लिए सहमत हो गए थे। बुधवार को दिल्ली में तीन दौर के मंथन के बाद राहुल गाँधी के पास एक ही नाम भेजा गया था। जींद में उम्मीदवार का चयन करने के लिए केसी वेणुगोपाल के प्रभार में लम्बा मंथन हुआ। भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, अशोक तंवर, सैलजा और सुरजेवाला सभी पांचों हरियाणा कांग्रेस इन मंथन बैठकों में शामिल थीं और अंत में एक निर्दलीय विधायक के बेटे का नाम फाइनल करके आगे भेजा गया था। साथ में आगामी चुनावों के समीकरणों का लम्बा चौड़ा हवाला भी सलंग्न था कि इसके क्या लाभ होंगे। सूत्र बताते हैं कि रात को सभी टिकट और प्रत्याशी फाइनल मानकर बैठ गए। यहां तक कि जिसका नाम राहुल गाँधी को भेजा गया था उसने सुबह समर्थकों से मीटिंग भी फिक्स कर ली थी, लेकिन जैसे ही केसी वेणुगोपाल यह सारा मसौदा लेकर राहुल गाँधी के पास पहुंचे बाजी पलट गयी। राहुल गाँधी ने उम्मीदवार को टिकट देने से इंकार कर दिया। ऐसे में समस्या यह आ गयी की फिर कौन लड़ेगा और वो भी तब जब नामांकन के लिए कुछ ही घंटे बचे थे।

राहुल गाँधी ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में कमतर उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि एक-एक करके तमाम दिग्गज नेताओं को फोन करके जगाया गया और उनसे चुनाव लडने को पूछा गया। लेकिन

उपचुनाव में कूदने से सभी कन्नी काट गए।

ऐसे में जब सुरजेवाला को लडने के लिए कहा गया तो उन्होंने हामी भर दी (यह बॉस को इंकार नहीं कर पाने की मज़बूरी भी हो सकती है) और इस तरह से सुरजेवाला उम्मीदवार बन गए।

कश्मीरी आईएएस अधिकारी का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए कलंकः चिदंबरम

नेशनल डेस्क। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आईएएस अधिकारी शाह फैसल के इस्तीफे को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस कदम से दुनिया उनकी पीड़ा और आक्रोश पर ध्यान देगी। पूर्व वित्त मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि प्रथम कश्मीरी आईएएस टॉपर रहे फैसल ने जो कुछ भी कहा है, वह नरेंद्र मोदी सरकार को दोषी ठहराता है। हालांकि दुखद है, लेकिन मैं शाह फैसल को सलाम करता हूं। उनके बयान का हर शब्द सच है और भाजपा सरकार को दोषी ठहराने वाला है। दुनिया उनकी पीड़ा और आक्रोश पर ध्यान देगी। चिदंबरम ने कहा कि कुछ समय पहले ही महान पुलिस अधिकारी पंजाब के पूर्व डीजीपी और मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त जूलियो रिबेरो ने भी यही बात कही थी, लेकिन शासकों की तरफ से उन्हें आश्वासन का एक शब्द तक भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे देश के नागरिकों के ऐसे बयानों से हमारा सिर अफसोस और शर्म से झुक जाना चाहिए। मोदी सरकार को लेकर रिबेरो ने तब कहा था कि देश को समावेशी विकास की जरूरत है न कि कुछ वर्गों की। बता दें कि फैसल ने सिविल सेवा अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार को अपने फैसले की वजह कश्मीर में लगातार हो रही हत्याओं को बताते हुए कहा कि कश्मीरी लोगों तक पहुंचने के केंद्र सरकार के प्रयासों में ईमानदारी की कमी है। फैसल ने भारतीय मुसलमानों को हाशिये पर डाले जाने पर भी आक्रोश जाहिर किया था।

राज्यसभा और लोकसभा

हंगामे के चलते राज्यसभा का 73 प्रतिशत और लोकसभा का 53 प्रतिशत समय हुआ बर्बाद

नई दिल्ली।

विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के गत 11 दिसंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र में राज्यसभा का 73 प्रतिशत और लोकसभा का 53 प्रतिशत समय बर्बाद हो गया। संसदीय कार्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज दोनों सदनों में हुई कार्यवाही का विवरण देते हुए आज यहां संवाददाताओं को बताया कि लोकसभा में 29 दिन की अवधि में कुल 17 बैठकें हुईं और राज्यसभा में 30 दिन की अवधि में कुल 18 बैठकें हुईं। इस दौरान लोकसभा में 46 घंटे से ज्यादा और राज्यसभा में 27 घंटे से ज्यादा काम हुआ। उन्होंने बताया कि निचले सदन की उत्पादकता 47 फीसदी और ऊपरी सदन की 27 फीसदी रही। लोकसभा की कार्यवाही 8 जनवरी को और राज्यसभा की 9 जनवरी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। तोमर ने बताया कि सत्र की विशेष उपलब्धि यह रही कि समान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान के 124वें संशोधन विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया। उन्होंने विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश के करोड़ों लोगों की लंबे समय से ऐसी इच्छा थी। यह सामान्य वर्ग के गरीबों को न्याय दिलाने वाला और उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला साबित होगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि दोनों सदनों में अधिकांश सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। मंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी अनुदान माँगों से जुड़े विनियोग विधेयक समेत लोकसभा में कुल 12 विधेयक पेश किये गये और 14 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में पांच विधेयक पेश किए गए और चार विधेयक पारित किए गए।

चार विधेयक दोनों सदनों से पारित से किए गए। इनमें संविधान का 124वां संशोधन विधेयक, ऑटिज्म न्यास से संबंधित विधेयक, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से जुड़ा संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी अनुदान मांगों के विनियोग विधेयक धन विधेयक होने के कारण लोकसभा से पारित हो चुका है और 14 दिन बाद राज्य सभा से स्वतः पारित माना जाएगा। लोकसभा ने जिन अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया उनमें तीन तलाक विधेयक, आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल हैं।

सवर्णों को आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बिल को बताया गया- असंवैधानिक

नई दिल्ली।

आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गैर-सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्विलिटी ने गुरुवार को 103वें संविधान संशोधन कानून, 2019 के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि भारतीय संविधान के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े को आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता। याचिकाकर्त्ता ने अपनी दलील के समर्थन में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का भी जिक्र किया है। याचिकाकर्त्ता ने यह भी कहा है कि एम. नागराज बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में दिए गए फैसलों के अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। याचिकाकर्त्ता ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को संविधान के ढांचे का उल्लंघन करार देते हुए इसे निरस्त करने का न्यायालय से अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक लायी थी, जिसे संसद ने पारित कर दिया है। इसके साथ ही यह 103वें संविधान संशोधन कानून में तब्दील हो गया है।

मुंबईः बस हड़ताल के दिनः यात्री हुए परेशान, ऑटो-टैक्सी चालक वसूल रहे अधिक पैसे

मुंबई।

मुंबई में नागरिक परिवहन उपक्रम 'बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन' (बेस्ट) के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही, जिसके चलते महानगर में लाखों यात्रियों की परेशानियां और बढ़ गई। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह से बेस्ट की एक भी बस मुंबई की सड़कों पर नहीं उतरी। यात्रियों ने शिकायत की है कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालक सामान्य दरों के मुकाबले बहुत अधिक पैसे ले रहे हैं। कुछ परेशान यात्रियों ने महाराष्ट्र सरकार से विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। बेस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गतिरोध के जल्द समाप्त होने की उम्मीद जताई है। बेस्ट के लगभग 32,000 कर्मचारी, वेतनमान बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये थे। राज्य सरकार ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल महाराष्ट्र आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम (एमईएसएमए) लगाया। साथ ही 'बेस्ट' के प्रबंधन ने उन्हें अपनी हड़ताल खत्म करने और बातचीत के लिए आने की अपील की है। बेस्ट प्रशासन ने बुधवार को कार्रवाई के तहत 2,000 से अधिक कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए मकानों को खाली करने के लिए कहा था।

प्रबंधन ने बेस्ट वर्कर्स यूनियन के नेता शशांक राव के साथ भी बातचीत की, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका। बेस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि शिवसेना समर्थित यूनियन, बेस्ट कामगार सेना हड़ताल से अलग हो गई है।

सिक्किम में फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बनी सेना

दार्जिलिंग।

सिक्किम में भारी हिमपात के कारण लाचुंग में फंसे 150 से अधिक पर्यटकों को सेना ने सुरक्षित बचा लिया है। ठीक दस दिन पहले ही सेना ने नाथुला, सांगो तथा अन्य स्थानों पर करीब 3000 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया था। चीन की समी के पास स्थित लाचुंग 2700 मीटर की उंचाई पर स्थित पहाड़ी गांव है जहां भुटिया तथा तिबती लोग निवास करते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से इस गांव की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है। बुधवार को दोपहर बाद इस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर भारी हिमपात हुआ तथा तापमान शून्य से नीचे जा पहुंचा जिसमें 150 पर्यटक भी फंस गए। राहत कार्यों से जुड़े आधिकारियों ने बताया कि महज दो घंटे के भीतर पूरी लाचुंग घाटी पूरी तरह से कट गई तथा सभी प्रकार के संपर्क भी टूट गए। पर्यटक, जिनके पास खराब मौसम की स्थिति में जीवित रहने के लिए अपने स्वयं के पर्याप्त साजो-सामान तक नहीं थे, संकट में थे और उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। सेना की त्रिशक्ति कोर की टुकड़ियां तुरंत हरकत में आईं और 'क्विक रिएक्शन टीमों' तथा अपने चिकित्सा कर्मचारियों के साथ फंसे वाहनों में पर्यटकों का पता लगाने का काम शुरु किया। उनका पता लगाने के बाद, सेना ने पहले उन्हें चिकित्सा देखभाल प्रदान की और उन्हें निकटतम सेना शिविरों में पहुँचाया। अधिकारी ने कहा, ''केवल चार घंटों में, सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें अपने शिविरों और बैरकों में ले गए और उनकी जान बचाई।'' अधिकारियों ने बताया कि एक महिला, जिसका हाथ फैक्चर था, को कई अन्य लोगों के बीच तत्काल चिकित्सा देखभाल दी गई। महिला को चक्कर आने, सांस फूलने और अन्य उच्च ऊंचाई से संबंधित बीमारियों की शिकायत की थी। सेना की ओर से सभी बचाए गए पर्यटकों को निरंतर बर्फबारी और तापमान के शून्य से नीचे 10 डिग्री सेल्सियस तक जाने के बीच सेना के शिविरों में भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई। सेना के सूत्रों के अनुसार, इलाके में किसी अन्य पर्यटक का पता लगाने के लिए रात भर बचाव कार्य जारी रहा। गौरतलब है कि 28 दिसंबर 2018 को सेना ने सिक्किम में किए गए अब तक के सबसे बड़े बचाव अभियान में नाथुला क्षेत्र से 3000 से अधिक फंसे हुए पर्यटकों को निकाला था। वास्तव में बचाये गये पर्यटकों की ओर से भेजे गये संदेशों से सोशल मीडिया भरी पड़ी हुई है जिसमें सेना के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनके लिए अपने बैरक तक छोडने तथा संकट की घड़ी में भोजन, आश्रय तथा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की भी सराहना की गयी है। उत्तरी सिक्किम के पुलिस अधीक्षक के डी शंगदार्पा, इलाके के एसडीएम तथा एसडीपीओ भी पर्यटकों को बचाने के सेना के काम में हाथ बंटाने को लेकर मौके पर मौजूद थे। सिक्किम पुलिस ने एक संदेश में कहा,''कम से कम 50 पर्यटकों को तीसरे सिख रेजिमेंट के शिविर में आश्रय दिया गया तथा सभी सुरक्षित हैं। केवल वाहन फंसे हुए हैं जिन्हें गुरुवार की सुबह रास्ता साफ होने के बाद निकाल लिया जाएगा।'' अधिकांश पर्यटक मैदानी इलाकों के लोग हैं।

राज्यसभा में पारित नहीं हो सका तीन तलाक बिल, दोबारा अध्यादेश लायेगी मोदी सरकार

नेशनल डेस्क। सरकार तीन तलाक से जुड़े विधेयक तथा दो अन्य विधेयकों के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं होने के कारण इनसे संबद्ध अध्यादेश दोबारा लायेगी। संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने इसकी जानकारी दी। गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 और कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित हो गये, लेकिन इन्हें राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सका। इसलिए, सरकार इन पर दोबारा अध्यादेश लायेगी। तीन तलाक और आयुर्विज्ञान परिषद् पर अध्यादेश पिछले साल सितंबर में तथा कंपनी कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश पिछले साल नवंबर में लाया गया था। संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित हो गये, लेकिन हंगामे के कारण राज्यसभा में ज्यादातर समय कार्यवाही बाधित रहने से ये उच्च सदन में पारित नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि अध्यादेश लाने के बाद अगले संसद सत्र में यदि उसकी जगह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो अध्यादेश स्वतः निरस्त हो जाता है।

संपादकीय

संस्था का सज़्मान बचाने का फैसला

सवरेच्च न्यायालय द्वारा आलोक वर्मा को निदेशक के तौर पर बहाली का राजनीतिक अर्थ जो भी लगाया जाए लेकिन यह एक संस्था का सम्मान बचाने का फैसला ज्यादा है। अदालत ने कोई कड़ी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सीवीसी द्वारा वर्मा को उनके अधिकारों, कर्तव्यों आदि से वंचित करने को दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य कहा है। वास्तव में वह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस तरह सीबीआई मामलों की जांच और कानूनी कार्रवाई की जगह आपसी संघर्ष में उलझ गया था, उससे देश अचंभित था। हालांकि सरकार ने वर्मा या अस्थाना को पद से हटाए जाने की जगह जांच होने तक कामकाज से मुक्त किया था। उच्चतम न्यायालय ने भी न तो उनके खिलाफ होने वाली जांच पर रोक लगाई है, न वर्मा को उनके अधिकार वापस किए हैं। उन पर लगे आरोपों पर भी टिप्पणी नहीं की है। वे केवल रु टीन कामकाज देख सकेंगे। न कोई पहल करेंगे और न नीतिगत निर्णय लेंगे। न्यायालय ने वर्मा पर कार्रवाई या उनके कामकाज संबंधी निर्णय उच्चाधिकार समिति पर छोड़ दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्ष के नेता शामिल हैं। अर्थ साफ है, न्यायालय चाहता है कि जो भी कदम उठाया जाए उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन हो। दरअसल, उच्च न्यायालय ने ही पांच वर्ष पूर्व के अपने फैसले में सीबीआई की संस्था के तौर पर विश्वसनीयता एवं स्वायत्तता कायम रखने के उद्देश्य से कुछ प्रावधान तय किए थे। इसी में ऐसे निर्णय करने के लिए उच्चाधिकार समिति को अधिकृत किया गया था। हालांकि निदेशक और विशेष निदेशक के बीच सीबीआई मुख्यालय लड़ाई का अड्डा बन जाएगा, इसकी कल्पना शायद उच्चतम न्यायालय ने भी नहीं की होगी। इसलिए उसने ऐसी टिप्पणियां की हैं, जिनसे न सीबीआई के बारे एकदम नकारात्मक धारणा बने, न सरकार को झेंपना पड़े और न सक्रियतावादियों को झंडा उठाने का अवसर मिले। न्यायालय ने एनजीओ कॉमन कॉज आदि की वर्तमान कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव के निर्णयों के खिलाफ अपीलों को भी स्वीकार नहीं किया है। न्यायालय की यही भूमिका यथेष्ट थी। किंतु मूल सवाल सीबीआई को दुरुस्त करने, उसकी विश्वसनीयता को कायम करने की है। इस प्रकरण ने इतना साफ कर दिया है कि यह शीर्ष जांच एजेंसी अभी भी कई ऐसी बीमारियों की शिकार है, जो इसे स्वतंत्र होकर कुशल और ईमानदार भूमिका निभाने में बाधा हैं। तात्कालिक समाधान जो भी निकले लेकिन दूरगामी दृष्टि से सीबीआई के चरित्र एवं व्यवहार में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।

संशोधन विधेयक लोक सभा से पास

2016 से चल रही जद्दोजहद के बाद केंद्र सरकार द्वारा तैयार नागरिकता संशोधन विधेयक लोक सभा से पास हो गया। यह विधेयक 1955 में बनाए गए नागरिकता कानून में संशोधन करने को अभिप्रेरित है। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले गैर-मुस्लिमों यानी हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। वे छह साल में ही भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएंगे। इस श्रेणी में आने वाले ऐसे हजारों-लाखों लोग भारत के विभिन्न प्रांतों में अभिशप्त जिंदगी जीने को मजबूर हैं। विभाजन के समय भारत की तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के जान-माल की सुरक्षा की गारंटी दे दी गई होती तो यह नौबत न आती। लेकिन इन पड़ोसी देशों में जिस प्रकार गैर-मुस्लिमों का उत्पीड़न किया जाता रहा, उसका नतीजा हुआ कि वहां से भारी संख्या में उनका भारत में पलायन हुआ। स्पष्ट है कि यह पलायन आर्थिक नहीं, धार्मिक कारणों से हुआ। ऐसे लोग न केवल असम, बल्कि राजस्थान, गुजरात, प. बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसी जगहों में भी रह रहे हैं। लेकिन इसका विरोध मूलत: असम में हो रहा है, जबकि इस विधेयक का संबंध केवल असम से ही नहीं है, बल्कि पूरे देश से है। केंद्र सरकार असम समझौते के मद्देनजर वहां के मूल निवासियों के राजनीतिक-सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। इसके बावजूद विरोध हो रहा है, तो यही कहा जा सकता है कि वह नासमझी भरा है, जो उनके दीर्घकालिक हितों की अनदेखी करने वाला है। असम गण परिषद ने असम में भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, और कई संगठन विधेयक के विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं। यही नहीं, लोक सभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां विरोध में खड़ी हो गई। इनसे उम्मीद थी कि ये पार्टियां इतिहास की भूल को दुरुस्त करने में सहायक होंगी लेकिन इनका दृष्टिकोण निराशाजनक रहा। इनकी नजर में यह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के खिलाफ है। ऐसे में इन पार्टियों को देश विभाजन से उपजे उन सवालों का भी जवाब देना होगा, जिनका इंतजार देश को आज भी है।

सत्संग

उपहास

स्वाभिमान और अहंकार देखने में एक जैसे लगते हैं, पर उनकी प्रकृति और परिणति में जमीन-आसमान जैसा अंतर है। अहंकार भौतिक पदार्थों या परिस्थितियों का होता है। धनबल, सौन्दर्यबल, साधन, शिक्षा, कला-कौशल आदि के बलबूते अपने को दूसरों से बड़ा मान बैठना, दर्प दिखाना और पिछड़ों का तिरस्कार, उपहास करना अहंकार है। स्वाभिमान आत्मगौरव के संरक्षण एवं अभ्युदय का प्रयास है। इसमें आंतरिक उत्कृष्टता को अक्षुण्ण रखने का साहस होता है। दबाव या पलोभन पर फिसल न जाना और औचित्य से विचलित न होना स्वाभिमान है। इसकी रक्षा करने में बहुधा कष्ट-कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है और दुर्जनों का विरोध भी सहना पड़ता है। जब अहंकार बढ़ने लगता है तो व्यक्ति की संवेदनशीलता, सरसता और गुणों का ह्रास होने लगता है। इस मनोविकृति के भार से मनुष्य बोझिल बनता है, और उसका विकास अवरु द्ध हो जाता है। शास्त्रों का कथन है कि ''अहंकार' ने ही आत्मा को पृवी की खूंटी से बांध रखा है। आत्मा इसी विकार के कारण व्यर्थ के देहानुशासन से आबद्ध है, और इसीलिए वह परम तत्त्व से वंचित है। मनीषियों का कहना है कि अहंकार मनुष्य को गिराता है। उद्दंड और परपीड़क बनाता है। साथियों को पीछे धकेलने, किसी के अनुग्रह की चर्चा न करने, दूसरों के प्रयासों को हड़प जाने के लिए अहंकार ही प्रेरित करता है, ताकि जिस श्रेय की स्वयं कीमत नहीं चुकाई गई है, उसका भी लाभ उठा लिया जाए। ऐसे लोग आम तौर से कृतघ्न होते हैं और अपनी विशेषताओं और सफलताओं का उल्लेख बढ़-चढ़कर बार-बार करते हैं। उनमें नम्रता, विनयशीलता का अभाव होता जाता है। इसलिए वे दूसरों की नजर में निरंतर गिरते जाते हैं, घृणास्पद बनते जाते हैं। ऐसे लोग अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं और अंतत: घाटे में रहते हैं। आत्म-सम्मान की रक्षा करनी हो तो अहंकार से बचना ही चाहिए। तत्त्ववेत्ता मनीषियों का कहना है कि प्राय: घर-द्वार छोड़ने और वैराग्य की चादर ओढ़ लेने पर भी अहंकार नहीं छूटता वरन और भी बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है। इसी तरह धन छोड़ देने या दान कर देने की भी अहम वृत्ति बनी रहती है। तथाकथित मोहमुक्तों का भी स्त्री-बच्चों के प्रति लगाव कहां छूटता है?

''नई चेतना'

सही और प्रामाणिकता की धारणा ने इतिहास को अतीत को देखने का एकमात्र जरिया मानने और मनवाने की कोशिश की। देखा जाए तो इतिहास आधुनिक, वैज्ञानिक युग की देन है, आधुनिक दृष्टि का एक ही एक अंग है। यानी, इतिहास की इस धारणा की कुल उम्र दो सौ साल भी नहीं है। लेकिन जैसा कि विदित है इस आधुनिक युग के ज्ञान के आधार पर ही चीजें विश्लेषित हुई और लगभग हर विधा का एक मानक रूप बना। साहित्य, इतिहास आदि की समझ इस समय जिस रूप में मान्य हुई उसे ही एकमात्र रूप माना जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि इतिहास का एक ऐसा संस्करण तैयार हुआ जिसे अकादमिक इतिहास कहा जा सकता है। यह अकादमिक इतिहास था जिसे एक इतिहासकार की भाषा में कहें।

सतीश पेडणोकर

कितनी निराशाजनक स्थिति है यह! आप रोजगार के अवसर विकसित करने की कोशिश नहीं करते। इसकी बजाय सरकारी नौकरियों में आरक्षण की रेवड़ी बांट रहे हैं। तय है कि सरकारी नौकरियां सिमट रही हैं। इन्हीं में आप बंदर-बिल्ली का खेल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी और समतावादी हैं, तो फिर एक पंक्ति का फैसला क्यों नहीं करते कि बिना किसी जातिगत या धार्मिक भेदभाव के तमाम युवकों को रोजगार मुहैया करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरक्षण मसले को एक बार फिर उछाल दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक आधार पर समान्य वर्ग के कमजोर तबकों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। लाजिम है कि इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त यह प्रावधान करने जा रही है।

समुचित प्रावधानों के अभाव में नरसिंह राव सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार की ऐसी सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शायद इसीलिए केंद्र में आरूढ़ मोदी सरकार ने संसद में एक बिल लाने का निर्णय लिया है, जिसे कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकनोमिक वीकर सेक्शन-2018 कहा जाएगा। यकीनन मोदी सरकार की मंशा संविधान की धारा 15 और 16 में बदलाव लाने की है। भारतीय संविधान की इन धाराओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबकों की एक सूची बना कर उन्हें विशेष अवसर देने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि इसी आधार पर अछूतों को अनुसूचित जातियों के रूप में रेखांकित कर उन्हें एक वर्ग का रूप दिया गया था। इसी प्रकार आदिवासी समूहों के लिए भी अनुसूचित जनजाति वर्ग बना कर उन्हें आरक्षण दिया गया था। इसी के आधार पर 1953 में सर्वोदयी नेता एवं लेखक काका साहेब कालेलकर और 1978 में बिंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। बीपी मंडल की अध्यक्षता वाले आयोग की सरकारी नौकरियों वाली सिफारिशों को 7 अगस्त, 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया था, और जिस पर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। अब कोई अट्ठाइस साल बाद इस 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अगड़े अथवा सामान्य तबके के गरीबों की याद आई है। उन्होंने इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का लॉलीपॉप दिखाया है। पिछले महीने तीन प्रांतों-राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़-में जब भाजपा के किले ध्वस्त हो गए और लोक सभा चुनाव के कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, तो उन्हें इन सब की याद आई है। इसे आरक्षण मसले का राजनीतिक इस्तेमाल ही तो कहा जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को यदि इन तबकों की सुधि पहले से होती तो वे पहले ही संविधान में संशोधन करवाते, आयोग बनवाते और उसकी सिफारिशें लेकर कोई काम या सार्थक पहल करते। लेकिन मोदी जानते हैं कि इसमें से कुछ भी एक्शन में नहीं आ पाएगा। केवल हंगामा खड़ा करना ही मकसद हो, तब किया ही क्या जा सकता है। दरअसल, ये सारी समस्याएं हमारे युवा वर्ग की हैं। उन्हें ही रोजगार की दरकार है। शिक्षा ग्रहण कर चुकने के पश्चात उन्हें रोजगार पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कहना न होगा कि सरकार में बैठे लोगों की सोच रही है कि युवाओं को जाति-धर्म के भुलावे में डाल कर इनका भरपूर भावनात्मक शोषण किया जाए। वास्तविक मुद्दों से ध्यान बंटाने का तरीका कोई आज का तरीका नहीं है, बहुत पुराना तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी वायदे में दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। चुनाव की पूर्व संध्या पर पूछा जा सकता है कि उनके इस वायदे का क्या हुआ? यदि वह वायदा पूरा कर दिया गया होता तो शायद इन दिनों आरक्षण के पिटारे को इस तरह से खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आरक्षण के माध्यम से ही सरकार को कुछ करना था, तो इसे समय से किया जाना चाहिए था। क्या प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं कि सामान्य तबके के दरिद्र मानसिक स्तर पर भी इतने दरिद्र हैं कि सरकार की इस कुटिलता को नहीं समझ पाएंगे? इसे मोदी सरकार की गलतफहमी ही तो कहा जाएगा। आरक्षण के उद्देश्यों को संकीर्ण अर्थों और राजनीतिक लाभ में इस्तेमाल किए जाने से पहले भी देश-समाज को बहुत नुकसान हो चुका है। दरअसल, आरक्षण का मूल उद्देश्य ही पिछड़े सामाजिक समूहों को राष्ट्र और समाज की मुख्यधारा में लाना था यानी आरक्षण का मुद्दा आर्थिक से अधिक सामाजिक मुद्दा था। गरीबी उन्मूलन का उपाय तो यह कतई नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ऊंचे पदों और संसद-विधानसभाओं में बैठे लोगों ने इस मुद्दे को बेरोजगारी और गरीबी दूर करने का औजार समझ लिया। वीपी सिंह ने भी यही किया और अब नरेन्द्र मोदी भी यही कर रहे हैं। पूछना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फैसले के पूर्व इस बात की समीक्षा की कि मंडल आयोग के संदर्भ में जो सिफारिशें लागू की गई, उनका नतीजा क्या हुआ? क्या उनसे पिछड़े तबकों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां पिछले अट्ठाइस साल में बदल गई? यदि नहीं तो फिर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए कुछ इतर इंतजाम क्यों नहीं किए जाने चाहिए। एक समान स्कूल और एक समान चिकित्सा सुविधा की बात बहुत समय से उठाई जाती रही है। यह कटु सत्य है कि आज देश में अमीरों और गरीबों के स्कूल और अस्पताल अलग-अलग हो गए हैं। लंबे समय तक और कभी-कभी तो आजीवन युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते। कितनी निराशाजनक स्थिति है यह! आप रोजगार के अवसर विकसित करने की कोशिश नहीं करते। इसकी बजाय आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण की रेवड़ी बांट रहे हैं। तय यह है कि सरकारी नौकरियां लगातार सिमट रही हैं। इन्हीं में आप बंदर-बिल्ली का खेल कर रहे हैं। यह सब नौजवानों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवादी और समत्ववादी हैं, तो फिर एक पंक्ति का फैसला क्यों नहीं करते कि बिना किसी जातिगत या धार्मिक भेदभाव के तमाम युवकों को रोजगार मुहैया करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी यानी उन्हें वोट की तरह ही रोजगार का अधिकार होगा। इसके लिए शायद आपको संविधान संशोधन की भी जरूरत न पड़े। लेकिन इसके लिए तो वाकई छप्पन इंच की छाती होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी!

चलते चलते

भाजपा ने समसरता कायम

सरकारों में रहने और खिचड़ी सरकार बनाने में भी कोई परहेज नहीं था। पर अब भाजपा खिचड़ी सरकारों के खिलाफ है, और लोगों को आगाह भी करती रहती है कि क्या खिचड़ी सरकार बनाओगे? लेकिन अब जब सहयोगी थोड़ी चूं-चां करने लगे हैं, तो पता चल रहा है कि अरे यह भी वास्तव में है तो खिचड़ी सरकार ही।

जपा खिचड़ी सरकार के तो बेशक खिलाफ है, पर उसने दिल्ली में खूब खिचड़ी बनाई साहब। महंगी मशरूम खाने के आरोप चाहे कितने ही लगें पर सुना है, खिचड़ी अटल-आडवाणी को भी बड़ी पसंद थी और इसीलिए उन्हें खिचड़ी सरकारों में रहने और खिचड़ी सरकार बनाने में भी कोई परहेज नहीं था। पर अब भाजपा खिचड़ी सरकारों के खिलाफ है, और लोगों को आगाह भी करती रहती है कि क्या खिचड़ी सरकार बनाओगे? लेकिन अब जब सहयोगी थोड़ी चूं-चां करने लगे हैं, तो पता चल रहा है कि अरे यह भी वास्तव में है तो खिचड़ी सरकार ही। भाजपा खिचड़ी सरकार के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद उसने दिल्ली में खिचड़ी खूब बनाई। खिचड़ी क्या बनाई जी, विश्व रिकॉर्ड बनाया। उधर केरल में कम्युनिस्टों ने सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में महिला दीवार बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और इधर दिल्ली में भाजपा ने समसरता कायम करने के लिए खिचड़ी बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। पांच हजार किलो खिचड़ी बनाई। कहते हैं कि खिचड़ी ज्यादा थी, और खाने वाले कम। इसे भाजपा को मिल रहे समर्थन में कमी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि संसाधनों की बहुतायत के रूप में देखा जाना चाहिए। जल कुकड़े वैसे ही भुने हुए हैं कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पिचानवें फीसद तो भाजपा ही ले जाती है। भैया, जब बंगलादेश में शेख हसीना पिचानवें फीसद सीटें ले गई तो क्या भाजपा पिचानवें फीसद चंदा भी नहीं ले सकती। वैसे भी बड़े-बुजुगरे की सीख है कि सार्वजनिक भोज में खाने वाले बेशक कम हो जाएं, खाना कम नहीं होना चाहिए वरना भोज बिगड़ जाता है। हालांकि ब्याह-शादियों और पार्टियों में भोजन बर्बाद होने की शिकायत बहुत रहती है, और सुना है कि इधर सरकार उनके लिए कुछ नियम-कानून भी बनाने वाली है कि कितने मेहमान होंगे और कितना भोजन तैयार होगा। पर समरसता को इस तखड़ी पर नहीं तोला जा सकता। समरसता खिचड़ी की तरह ज्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि चुनावों के मौसम में उसकी जरूरत ज्यादा है। पर साहब, यह दलितों के घर भोजन करने का जमाना चला गया क्या?

फोटोग्राफी...

प्रयागराज में बुधवार को ''गंगा पूजन' के दौरान दुग्धाभिषेक करते साधुगण।

''मेक इन इंडिया'

2019 आशा का संदेश लेकर आया है, लेकिन आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं है। अर्थव्यवस्था को नया रास्ता, पुनर्जीवन और जनोन्मुखी नीतियों की जरूरत है। ''मनमोहनॉमिक्स'-उदारीकरण की मनमोहन सिंह की नीति-ने सरकारों को असफल साबित किया है, जनता का भला भी नहीं हो सका। मनमोहनॉमिक्स को अपनाने वाली भाजपा सोचने को विवश है कि कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई है। दूसरी ओर, आर्थिक नीतियों को लेकर कांग्रेस कोई राय ही नहीं बना पा रही है। दरअसल, कोई भी राजनीतिक दल नई आर्थिक दृष्टि देने में सक्षम नहीं है। टीएमसी, टीडीपी, बीएसपी, एसपी जैसे क्षेत्रीय दल हों या वाम दल-सभी अस्तित्व की लड़ाई में व्यस्त हैं। देश में असमंजस का माहौल है। नहीं मालूम कि आखिर, किसानों की बदहाली दूर करने के लिए कौन पहल करेगा। यह भी जानकारी नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर देने वाले और इस वजह से कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी के जिम्मेदार कॉरपोरेट के दखल को कैसे कम किया जाए। जीएसटी घटाए जाने के बावजूद टैक्स की दरें अभी भी ज्यादा हैं। कम आय वाले नौकरीपेशा लोगों और छोटे व्यवसायियों से भी टैक्स लिया जा रहा है। टैक्स की ऊंची दरें और ''टैक्स टेरर' यानी टैक्स के आतंक से आर्थिक गतिविधियों में गतिरोध बना हुआ है। यह भी पूछा जाने लगा है कि मूर्तियों के लिए धन उपलब्ध कराना कॉरपोरेट के सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कैसे आता है। एक ओर पेट्रोल की कीमतें और टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर तेल कंपनियों का मुनाफा जबर्दस्त तरीके से बढ़ रहा है। तेल कंपनियां उन गतिविधियों के लिए कैसे पैसा दे रही हैं, जो न व्यापार से जुड़ी हैं, और न सामाजिक हित से?कुल मिलाकर जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। सितम्बर, 2018 में किए गए एक ''गैलप सर्वे' यानी जनमत निर्धारित करने के लिए किए जाने वाले मतदान के मुताबिक, भारतीयों के वर्तमान जीवन की रेटिंग पिछले कुछ समय की तुलना में सबसे खराब है। शून्य से 10 के पैमाने पर 2014 में 4.4 के मुकाबले यह साल 2017 में 4.0 पर थी। गैलप सर्वे के मुताबिक अपने जीवन स्तर को बेहतर मानने वाले भारतीयों के प्रतिशत में गिरावट आई है। 2014 में 14 के मुकाबले साल 2017 में सिर्फ 3 प्रतिशत भारतीय ही अपने को समृद्ध मानते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी खाद्य सामग्रियां महंगी हुई हैं। गैलप सर्वे कहता है, ''साल 2015 की शुरु आत में ही देश के ग्रामीण इलाकों में लोगों को खाद्य सामग्रियां खरीदने में कठिनाई होने लगी। घोषणापत्र में किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया। आर्थिक सुधार जनता नहीं बल्कि कॉरपोरेट को ध्यान में रखकर किए गए। इसे विडंबना ही कहेंगे कि निरंतर आर्थिक सुधारों और ''मेक इन इंडिया' के नारों के बीच देश के बाजार विदेशी सामानों से अटे पड़े हैं। इसके साथ ही व्यापार घाटा बढ़ रहा है, और नौकरियों में लगातार कमी आ रही है। सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी के बावजूद आर्थिक तंत्र में आत्मविास की कमी देखी जा रही है। ''नीति आयोग' के पहले अस्तित्व में रहे ''योजना आयोग' का तो अपना एक निश्चित रास्ता था, लेकिन लगता है कि नीति आयोग अभी भी स्थितियों से पार पाने के लिए रास्ता तलाशने में ही जुटा है। फिलहाल, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का तरीका शायद ही किसी को मालूम हो। कहते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। भारतीय राजनीति में 2019 ऐतिहासिक साल साबित हो सकता है, और कौन जानता है कि निराशाजनक हालात से ही कोई नया नेतृत्व और नई दृष्टि उभर कर सामने आ जाए।

बजट 2019

मिडिल क्लास लोगों के लिए खुलेगा जेटली का पिटारा, मिल सकती है बड़ी सौगात

नई दिल्ली।

इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को कर में छूट मिलने की संभावना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट पेश करेंगे। नौकरियों और कॉलेजों में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय के बाद, अब मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट देने पर विचार किया जा सकता है। इसके तहत नौकरी पेशा लोगों को आयकर में मिलने वाली रियायत की सीमा बढ़ाई जा सकती है या धारा 80 सी के तहत मौजूदा लिमिट 1.50 लाख रुपए से ऊपर की जा सकती है। भारतीय उद्योग संगठन ने सरकार से आगमी जट में इंकम टैक्स छूट लिमिट को दोगुना करके 5 लाख रूपए तक करने की सिफारिश की है साथ ही बचत को प्रोमोट करने के लिए धारा 80 सी के तहत कटौती की लीमिट बढ़ा कर 2.50 लाख रूपए करने की मांग की है। संगठन ने बजट से पहले वित्त मंत्रालय को सलाह दी है कि व्यक्तिगत आयकर के उच्चतम स्लैब को भी 30 से घटाकर 25त्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एकमुश्त 40 हजार रुपए की छूट के साथ चिकित्सा खर्च और परिवहन भत्ते पर आयकर छूट को बहाल किया जाना चाहिए। आयकर की वर्तमान दरों के तहत, 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं है। 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5त्न और 5 से 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर 20त्न कर की दर है। इसके अलावा 10 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगता है।

सोना पहली बार 33 हजारी, चांदी 6 माह के उच्चतम स्तर पर

बिजनेस डेस्क।

विदेशी बाजारों में पीली धातु के सात माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचने और घरेलू बाजार में जेवराती माँग बरकरार रहने से गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 270 रुपए चमककर पहली बार 33,000 रुपए के पार 33,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस दौरान सिक्का निर्माताओं के उठाव में आयी तेजी और औद्योगिक ग्राहकी निकलने से चांदी भी 410 रुपए की तेज छलामग लगाकर सात माह के उच्चतम स्तर 40,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच गयी। पहली बार दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 33,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर के पार पहुंचा है। हालांकि, ऑल इंडिया सर्राफा बाजार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एस.के. जैन ने बताया कि नोटबंदी के दौरान कालाबाजार में सोना 55 से 60 हजार रुपए प्रति दस ग्राम तक बिका था। उन्होंने कहा कि दोनों कीमती धातुओं में रही तेजी के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही बढ़ोतरी जिम्मेदार है। विश्लेषकों के मुताबिक, दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर के टूटने से विदेशी बाजारों में सोने की चमक बढ़ गयी है। लंदन का सोना हाजिर 3.75 डॉलर की तेजी में 1,296.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। मार्च का अमेरिकी सोना वायदा भी 4.90 डॉलर की बढ़त के साथ 1,296.9 डॉलर प्रति औंस बोला गया। इस दौरान चाँदी हाजिर 0.04 डॉलर की तेजी के साथ 15.77 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

रिजर्व बैंक ने किया स्वर्ण मौद्रिकरण योजना में बदलाव

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को स्वर्ण मौद्रिकरण योजना (जीएमएस) को आकर्षक बनाने के लिये कुछ बदलाव कुछ बदलाव किए। बैंक ने इसमें परमार्थ सेवाएं देने वाले संस्थानों और केंद्र सरकार समेत अन्य को भी शामिल किया है। आरबीआई ने अधिसूचना में कहा कि इस योजना का लाभ अब धर्मादा संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार व राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इकाइयां भी उठा सकती है। पहले यह यह योजना व्यक्तिगत एवं संयुक्त जमाकर्ताओं के लिए खुली थी। यह योजना बैंकों के ग्राहकों को निष्क्रिय पड़े सोने को निश्चित अवधि के लिये जमा करने की अनुमति देता है। इस पर उसे 2.25 से 2.50 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। सरकार ने 2015 में यह योजना शुरू की थी। इसका मकसद घरों तथा संस्थानों में रखे सोने बाहर लाना और उसका अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर उपयोग करना है।

आम चुनाव से पहले कुकिंग सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली।

आम चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार अब कुकिंग फ्यूल्स की सब्सिडी का दायरा बढ़ाने का फैसला ले सकती है। इसके तहत सरकार पाइप नैचरल गैस यानी पीएनजी और बॉयोगैस पर भी सब्सिडी दे सकती है। फिलहाल एलपीजी और केरोसिन पर ही सरकारी छूट मिलती है। नीति आयोग ने कुकिंग सब्सिडी को लेकर एक प्रस्ताव पिछले दिनों तैयार किया था। अब इसे सरकार अपने अजेंडे में भी जगह दे सकती है। सरकार के इस कदम से खाना बनाने के लिए किसी भी ईंधन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके गा। फिलहाल एलपीजी और केरोसिन पर ही यह सुविधा मिल रही है। बता दें कि बीते साल नीति आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कहा था कि ऐसी सब्सिडी दिए जाने की जरूरत है, जिसमें सभी तरह के कुकिंग फ्यूल्स को शामिल किया जा सके। यही नहीं एलपीजी और केरोसिन की तरह इस सब्सिडी को भी सीधे बैंक खाते में ही ट्रांसफर किए जाने की योजना है। एक सीनियर सरकारी अफसर ने बताया कि संबंधित मंत्रालय इस सब्सिडी पर आने वाली लागत का अनुमान लगाने में जुटा है। बता दें कि सरकार ने 2018-19 में एलपीजी सब्सिडी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि केरोसिन के लिए 4,500 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है।

संक्षिप्त समाचार

चुनाव से पहले छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, खत्म हुई रजिस्ट्रेशन की टेंशन

बिजनेस डेस्क। चुनाव से पहले आज की जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अब 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते जीएसटी पर मंत्रियों की एक समिति ने रजिस्ट्रेशन के लिए सालाना टर्नओवर की सीमा बढ़ाने पर सहमति जताई थी। जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ाने को औपचारिक मंजूरी दे दी। कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1.5 करोड़ रुपए करने को मंजूरी मिली, स्कीम पर बदलाव 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। अब तक सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। अभी 20 लाख रुपए तक बिजनेस वालों के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते हुई समिति की बैठक में इसको मंजूरी मिल गई थी। वहीं सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत एकीकृत कम्पोजिशन योजना का ऑप्शन चुनने वालो को भी बड़ी राहत दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कार्उंसिल ने कम्पोजिशन स्कीम में शामिल टैक्स पेयर्स को अब तीन महीने में टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत दे दी है. वहीं, अब स्कीम का दायरा भी बढ़ाने की तैयारी है. कार्उंसिल की बैठक में कम्पोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में जीएसटी कार्उंसिल की 32वीं बैठक जारी है। जीएसटी कार्उंसिलने कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ाने को औपचारिक मंजूरी दी. कंपोजिशन स्कीम की सीमा करने को मंजूरी मिली, स्कीम पर बदलाव 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। सरकार ने छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कंपोजिशन स्कीम शुरू की है। शुरुआती दौर में की तमाम जटिलताओं से राहत देने के लिए सरकार ने छोटे कारोबारियों को कंपोजिशन स्कीमअपनाने का विकल्प दिया। 20 लाख रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है लेकिन वो चाहें तो जीएसटी का झंझट कम कर सकते हैं। साल में 75 लाख तक का कारोबार करने वाले जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. अपनी सुविधानुसार वे चाहें तो जीएसटी की नॉर्मल स्कीम के तहत काम करें, चाहें तो कंपोजिशन स्कीम के तहत। इसके तहत छोटे कारोबारियों को हर महीने रिटर्न फाइल नहीं करना होता है. साथ ही, टैक्स का एक निश्चित रेट, एकमुश्त टैक्स भरना होता है। इसके अलावा रसीदों को अपलोड करना का झंझट भी नहीं है।

हवाई टिकट पर मिलेगा 50 लाख का मुफ्त बीमा

नई दिल्ली। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) की वैबसाइट पर हवाई टिकट खरीदने वालों को 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त दिया जाएगा और यह सुविधा किसी भी एयरलाइन के देशी एवं विदेशी यात्रा टिकट पर दी जाएगी। इतना ही नहीं, कंपनी जल्द ही विदेश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को बहुत कम दरों को स्वास्थ्य बीमा तथा आकर्षक दरों पर विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। आई.आर.सी.टी.सी. के प्रबंध निदेशक एम.पी. मल्ल ने यह जानकारी दी। यह सेवा एक फरवरी से उपलब्ध होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे आई.आर.सी.टी.सी. के प्लेटफॉर्म से हवाई टिकट खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी।

आयकर छूट सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपए करने की मांग

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से आगामी आम बजट में आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपए करने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल ने इसके साथ ही बचत को प्रोत्साहन देने के लिए धारा 80सी के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए करने की भी मांग की है। आम बजट एक फरवरी को पेश किया जाना है। सीआईआई ने वित्त मंत्रालय को सौंपी अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत आयकर के सबसे ऊंचे स्लैब को भी 30 से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। इसके अलावा चिकित्सा खर्च और परिवहन भत्ते पर भी आयकर छूट मिलनी चाहिए। वर्तमान में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है। ढाई लाख से पांच लाख रुपए की आय पर पांच प्रतिशत कर लगता है। वहीं 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगता है। सीआईआई ने सुझाव दिया है कि पांच लाख रुपए तक की आय को करमुक्त किया जाए। इसके अलावा 5-10 लाख रुपए की आय पर कर की दर घटाकर 10 प्रतिशत और 10 से 20 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत तथा 20 लाख रुपए से अधिक की आय पर 25 प्रतिशत आयकर लगाया जाना चाहिए। आगामी आम चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे। उसके बाद चुनकर आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी। सीआईआई ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब मनमर्जी की सीट पर ले सकेंगे सफर का मजा

नई दिल्ली। कई बार हवाई यात्रा करते वक्त पसैंजर्स को अपनी मनपसंद सीट नहीं मिलती जिसके कारण उनका सफर खराब हो जाता है पर अब ऐसे नहीं होगा। दरअसल लिए एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खारोला ने कुछ विदेशी मार्गों पर इकोनॉमी क्लास की सीट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड करने की नई व्यवस्था की घोषणा की है। इसके लिए यात्री को अपनी मनपसंद सीट के लिए बोली लगानी पड़ेगी और कुछ अतिरिक्त पेमेंट करनी पड़ेगी। खारोला ने कहा कि आपको केवल अतिरिक्त राशि के लिए बोली लगानी होगीआप इकोनॉमी क्लास के लिए तो भुगतान कर चुके होंगे, हमने किसी व्यक्ति के लिए बोली की न्यूनतम सीमा तय करेंगे। राष्ट्रीय एयरलाइन ने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग की उड़ानों के लिए यह व्यवस्था शुरू की है. यह सुविधा अभी खाड़ी देशों की उड़ानों के लिए नहीं शुरू की गई है। उन्होंने कहा, आम लोगों की भाषा में कहें तो हमारी कोशिश है कि इकोनॉमी क्लास में टिकट बुक कर चुके लोगों को हम थोड़ा अतिरिक्त किराया देकर अपनी सीट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड करने का अवसर दे रहे हैं।

खराब एयरबैग के कारण टोयोटा ने 17 लाख कारें को बुलाया वापस

बिजनेस डेस्क।

एयरबैग में खराबी को लेकर टोयोटा कंपनी ने दुनिया भर से 1.7 मिलियन (17 लाख) कारों को वापस बुलाया है। इनमें से 1.3 मिलियन(13 लाख) गाड़िया अमेरिका में है। गौरतलब है कि फोर्ड द्वारा भी पिछले हफ्ते एयरबैग में कुछ समस्या के चलते लगभग 1 मिलियन मॉडल वापस बुला लिया गए था। ये कारों 2010 - 2015 में बनाई गई थी और खराबी के पता लगने के तुरंत बाद 6500 कारों को वापिस बुला लिया गया। बुलाई गई कारों की सख्या अब तक की सबसे बड़ी सख्या है अकेले अमरीका में 37 लाख कारों की जरूरत होती है। जापान की ऑटो पार्ट्स नि र्माता कंपनी टकाटा ने इन एयरबैग स की मैन्युफैक्चरिंग की है। टोयोटा ही नहीं नि सान और होंडा को भी टकाटा द्वारा बनाए गए खराब एयरबैग का नुकसान उठाना पड़ा रहा है । एयरबैग की खामी के चलते कुछ समय पहले भी टोयोटा ने दुनियाभर से करीब 29 लाख कारों को रिकॉल किया था जिनमें अकेले भारत से ही 23,000 कोरोला एल्टिस गाड़ियां शामिल थीं। भारत समेत जापान, चीन और ओशनिया रीजन के कई देशों पर इसका असर पड़ा है। गाड़ियों का रिकॉल की वजह टकाटा कंपनी के एयरबैग्स में खामी ही है । टकाटा कंपनी 2017 में ही खुद को दिवालिया घोषित करना चाहती थी। टकाटा के ऐयरबैग के कारण 23 की मौते, और 290 लोग घायल हो चुके है। 2008 से अब तक 53 मिलियन कारों को वापस बुलाया था जिनमें टकाटा एयर बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है।

आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन्स: मोबाइल वॉलेट से फ्रॉड होने पर कंपनी करेगी ग्राहक के नुकसान की भरपाई

नई दिल्ली ।

इन दिनों मोबाइल वॉलेट से होने वाले फ्रॉड की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच अब मोबाइल वॉलेट यूजर्स को अन-ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन और फ्रॉड ट्रांजेक्शन से सुरक्षा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिसके तहत ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई वॉलेट कंपनी को ही करनी होगी। इसके साथ ही अब पेटीएम, फोन-पे, फ्रीचार्ज, गूगल पे जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) पर नए नियम लागू होंगे। रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, उपभोक्ता की गलती न होने के बावजूद अगर फ्रॉड होता है तो सारी जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी। इसके लिए यूजर को 3 दिन के अंदर वॉलेट कंपनी को सूचना देनी होगी। अगर यूजर धोखाधड़ी होने के बाद चार से सात दिनों के अंदर वॉलेट कंपनी को सूचना देता है तो वॉलेट कंपनी को नुकसान की रकम के बराबर या अधिकतम 10 हजार रुपए तक की भरपाई करनी ही होगी। वहीं अगर उपभोक्ता धोखाधड़ी की सूचना 7 दिनों के बाद वॉलेट कंपनी को देता है तो उसे कंपनी की पॉलिसी के अनुसार अमाउंट रिफंड किया जाएगा। फ्रॉड अगर सीधे तौर पर कंपनी की लापरवाही के चलते हुआ है तो कंपनी को बिना सूचना के भी रिफंड करना होगा। अभी तक इस तरह का नियम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांजेक्शन पर लागू था। गाइडलाइन्स में आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि फ्रॉड लेनदेन की सूचना के बाद नियमानुसार अगर कंपनी को रिफंड करना है, तो उसे यह 10 दिन के भीतर करना होगा। दूसरी शिकायतों और विवादों को 90 दिनों के भीतर सुलझाना होगा। अगर 90 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता तो वॉलेट कंपनी, यूजर को हुए पूरे नुकसान की भरपाई करेगी। आरबीआई ने कहा है कि कंपनियों को 24ङ्क7 हेल्पलाइन शुरू करनी होगी, ताकि उपभोक्ता किसी भी समय होने वाली धोखाधड़ी की जानकारी जल्द से जल्द दे सके। वहीं लेनदेन से संबंधित एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशन देने के लिए यूजर्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर किया जाए। ट्रांजेक्शन की सूचना देने वाले एसएमएस और ईमेल में वॉलेट कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से दिया जाए, ताकि फ्रॉड ट्रांजेक्शन की स्थिति में उपभोक्ता तुरंत सूचना दे सके। गौरतलब है कि इससे पहले बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि मोबाइल वॉलेट कंपनियों और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) को अपने सभी ग्राहकों की केवाईसी (नो योर कस्टमर) करने को कहा था। ऐसा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। केवाईसी कंप्लीट न होने पर यूजर्स का मोबाइल वॉलेट बंद किया जा सकता है।

दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस देंगे अपनी पत्नी मैकेंजी को तलाक

बिजनेस डेस्क। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस (54) ने बुधवार को अपनी पत्नी मैकेंजी बेजोस (48) से तलाक लेने की घोषणा की। दोनों ने 25 साल पहले शादी की थी, लेकिन काफी समय से एक-दूसरे से अलग रह रहे थे। इस फैसले की जानकारी ट्विटर पर देते हुए बेजोस दंपति ने एक संयुक्त बयान में लिखा, हम लोगों को हमारी जिंदगी के घटनाक्रम के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा परिवार और करीबी मित्र जानते हैं कि प्यार भरे एक लंबे ट्रायल सेपरेशन के बाद हमने तलाक लेने का फैसला किया है। हम आगे भी दोस्तों की तरह जीवन बिताएंगे। मैकेंजी अमेजन के पहले कर्मचारियों में से एक थीं। जेफ बेजोस और मैकेंजी बेजोस की मुलाकात एक इनवेस्टमेंट फर्म में काम करने के दौरान हुई थी. मुलाकात के एक साल बाद दोनों ने नौकरी छोड़कर शादी कर ली और अमेजन की स्थापना की.जेफ बेजोस की संपत्ति तकरीबन 137 बिलियन डॉलर है यानी कि लगभग 9लाख 66हजार 678 करोड़ और 85 लाख रुपये.सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार तलाक के बाद मैकेंजी 66 बिलियन डॉलर लेकर अपने पति से अलग होंगी। मैकेंजी बेजोस एक उपन्यासकार हैं और उन्होंने दिटेस्टिंग ऑफ लूथर अलब्राइट एवं ट्रैप्स सहित कई किताबें लिखी हैं। जेफ और मैकेंजी की मुलाकात डी.ई शॉ में हुई थी। यह मुलाकात अमेजन की स्थापना से पूर्व हुई थी। जेफ ने अमेजन की स्थापना 1994 में की थी। सिलिकन वैली में पॉवर कपल के अलग होने का यह मामला नहीं है। बिल गेट्स और मेलिंडा का तलाक भी काफी हाई-प्रोफाइल था। 2013 में, के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन और उनकी पत्नी ऐनी वोज्स्की अलग हो गए थे।टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क और उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन ने 2000 में शादी की और 2008 में अलग हो गए।

सिर्फ कागजों में कंपनियां चलाने वालों पर शिकंजा, सभी फर्मों के लिए केवाईसी होगी अनिवार्य

नई दिल्ली ।

छिपाए गए धन या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए मुखौटा कंपनियां यानी सिर्फ कागजों में कंपनियां बनाकर धोखाधड़ी करने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ अभियान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जल्द ही फर्मों के लिए अपने ग्राहक को जानो यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके तहत सभी कंपनियों के लिए अपने प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों के डीटेल को बताना अनिवार्य होगा। इससे जुड़े एक अधिकारी ने बताया, यह बहुत जल्द शुरू होगा, मुमकिन है कि इसी महीने से शुरू हो जाए। बता दें कि मुखौटा यानी शेल कंपनियां वे फर्म होते हैं जिनका वजूद सिर्फ कागजों पर होता है और जिन्हें छिपाए गए धन या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए ही बनाया गया होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पिछले साल सभी पंजीकृत कंपनियों के डायरेक्टरों के लिए केवाईसी प्रक्रिया शुरू की थी। के वाईसी यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स वाले 33 लाख डायरेक्टरों में से सिर्फ 16 लाख डारेक्टरों ने ही केवाईसी प्रक्रिया को पूरा किया है। मिनिस्ट्री के वाईसी प्रक्रिया को मुखौटा कंपनियों को पहचानने के तरीके के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि जिन्होंने अपने डीटेल नहीं दिए हैं, वे जांच के दायरे में हैं। इसके अतिरिक्त, केवाईसी प्रक्रिया को कंपनी फाइलिंग से भी लिंक किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंपनियां अपनी वार्षिक रिपोर्ट को फाइल नहीं करती हैं, उन्हें केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की इजाजत नहीं होगी। अधिकारी ने बताया कि अगर किसी कंपनी को चिह्नित की इजाजत नहीं होगी तो वह तमाम ऑपरेशंस को करने में असमर्थ होगी। कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी आई. श्रीनिवास ने बताया कि केवाईसी प्रक्रिया के तहत प्रफेशनल्स की स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद उन्हें सिस्टम में रजिस्टर किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय के पोर्टल पर 21 के रजिस्ट्रेशन के लिए भी केवाईसी का पालन अनिवार्य होगा।

ट्रक ने मोटर साइकिल को रौंदा, सास और दामाद की मौत

सूरत। शहर के हजीरा रोड पर एक ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। जिसमें सास और दामाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

जानकारी के मुताबिक सूरत की ओलपाड तहसील के कुवाड गांव निवासी रमण डाह्याभाई पटेल कवास स्थित कृभको कंपनी में काम करते थे। रमण पटेल की सास शारदाबेन चंदूभाई पटेल अपनी पुत्री से मिलने आई थीं। जहां से रमण पटेल मोटर साइकिल पर शारदाबेन पटेल को उनके गांव छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में हजीरा ओएनजीसी इच्छापोर सर्कल के निकट तेज र तार ट्रक ने मोटर साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की चपेट में आई मोटर साइकिल करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में रमण पटेल और शारदाबेन पटेल की गंभीर चोट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा होते देख ड्राइवर ट्रक मौके पर छोड़कर भाग गया। खबर मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी।

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी द्वारा महत्व की घोषणा

महाशिवरात्रि पर जूनागढ़ में मिनी कुंभ मेला की योजना

गिरनार कुंभ मेले के आयोजन के लिए १५ करोड़ आवंटित

अहमदाबाद। राज्य सरकार ने आगामी शिवरात्री के दौरान २७ फरवरी से ४ मार्च के दौरान गिरनार शिवरात्री कुंभ मेले का भव्य आयोजन के लिए १५ करोड़ रुपये आवंटित कराया गया है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में गांधीनगर में हुई इस मेले के आयोजन की बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी। इसके साथ-साथ इस वर्ष में गिरनार का शिवरात्री कुंभमेला सामाजिक समरसता की थीम के साथ मनाया जाएगा यह मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया। इतना ही नहीं स्वैच्छिक संस्थानों के सहयोग से स्वच्छता अभियान, नदी, नाला की सफाई, मेरेथोन दौड़ पर्वतारोहण स्पर्धा, स्पिरिच्युअल वोक के नये आकर्षण मेले में शामिल किया जाएगा यह उन्होंने बताया।

मुख्यमंत्री ने जूनागढ़ के इस मेले को प्रयागराज में आयोजित किया जाता कुंभमेला समक्ष मीनी कुंभमेला के तौर पर आयोजित करने के उद्देश्य के साथ गुजरात के अधिकारियों की एक टीम को खुद जानकारी के लिए वहां भेजा था। यह टीम की सूचना को ध्यान में लेकर गिरनार कुंभ मेला भव्य बनाने के लिए विजय रुपाणी ने इस बैठक में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया है कि, यह मीनी कुंभमेला में संपूर्ण स्वच्छता बनी रहे इसका ध्यान रखना होगा तथा सरकारी भवनों पर कुंभमेले के अनुरूप चित्र सुशोभित एलईडी लाइट्स हाई मास्क लगाया जाएगा। यह मेले के दौरान गिरनार पर्वत की दीवार पर लेजर शो फूलों और कलर की रंगोली भी की जाएगी। यह कुंभमेले में आनेवाले बड़ी संख्या में संतों के लिए संत संकलन समिति विश्वम्भर भारती बापू और शेरनाथ बापू के साथ परामर्श में रहकर बनाने का भी बैठक में तय किया गया। इस मेले में आनेवाले श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा संख्या में बस आवंटन करने के साथ यह मेला भव्य स्वच्छ और आध्यात्मिक भावना का प्रतीक बने ऐसा आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। उन्होंने हर वर्ष मेले में आयोजित की जाती रवेडी को बेन्ड रास मंडली हाथी घोडा के साथ हर्षोल्लास के साथ आयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी।

सूरत। शहर में मकर संक्रांती नजदीक आते ही पदंग मांझे की दुकानों पर ही नहीं बल्की मांझे से सेफ्टी की चीजे बाजार में बिकने लगती है। सूरत शहर पुलिस और लायन कल्ब द्वारा आम नागरिकों को गले में लगाने के लिए बेल्ट वितरण की गई।

हालोल-पावागढ़ रोड पर दुर्घटना की दुखद घटना

रिक्शा की टक्कर से बाइक लक्जरी बस से टकराने से कपल की मौत

पावागढ़ रोड पर हुई दुर्घटना में छह वर्ष की बच्ची अनाथ हो जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी-शोक की लहर फैल गई

अहमदाबाद। वडोदरा शहर से ४० किमी दूर हालोल के पावागढ़ रोड पर हुई एक दुर्घटना में रिक्शा की टक्कर से बाइक लक्जरी बस को टकराने से बाइक पर सवार कपल की मौत हो गई थी, जबकि उनकी छह वर्ष की बच्ची को गंभीर चोटें आयी जिसकी वजह से उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराई गई थी। दुर्घटना की वजह से कपल की मौत और बच्ची अनाथ हो जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। वडोदरा शहर से ४० किमी दूर हालोल के पावागढ़ रोड पर गुरुवार को दोपहर में रिक्शा ने बाइक को टक्कर मार दी। रिक्शा की टक्कर की वजह से बाइक के सामने आ रही लक्जरी बस से टकरा गया। इस दुर्घटना में बाइक पर जा रहा परिवार में से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। जबकि युवक की पत्नी और ६ बच्ची को गंभीर चोटें आयी जिसकी वजह से उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराई गई थी जहां पत्नी की मौत हो गई थी। घायल बच्ची हाल उपचार के तहत है। कालोल तहसील की मलाव गांव के पास स्थित मेदापुरा गांव की ज`तपुर फलीया में रहते जितेन्द्र रयजी परमार (उम्र.२८) उनकी पत्नी रेखा (उम्र.२५) और पुत्री वनीता (उम्र.६) को लेकर बाइक पर गुरुवार को दोपहर में हालोल तहसील के जेतपुर गांव में रहते रिश्तेदारों को मिलने के लिए जा रहा था। वह हालोल में पावागढ़ रोड पर सींधवाव माताजी के मंदिर के पास से जा रहे थे तब पीछे से तेजी से आ रही एक रिक्शा ने जितेन्द्र की बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान सामने से स्कूल के बच्चों की टूर की एक लक्जरी बस आ रही थी। रिक्शा की टक्कर से जितेन्द्र की बाइक लक्जरी बस से टकरा गई थी। इस दुर्घटना में जितेन्द्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी जबकि रेखा बेहोश थी लेकिन सांस चल रही होने से इसे तथा इसकी घायल बच्ची को उपचार के लिए एसएसजी अस्पताल लाया गया था। यहां उपचार मिले इसके पहले ही पत्नी रेखा की मौत हो गई थी। जबकि ६ वर्ष की बच्ची वनीता फिलहाल उपचार के तहत है।

शालु डाइंग मिल अग्निकांड में विदेश फरार मालिक के खिलाफ लूक आउट नोटिस

सूरत। शहर के पांडेसरा जीआईडीसी स्थित शालु डाइंग मिल अग्निकांड केस में पुलिस ने मिल मालिक कमल जैन के खिलाफ लूक आउट नोटिस जारी की है। इस मामले में कमल के भाई आशीष जैन को पुलिस ने पकड़ लिया था।

सूरत के पांडेसरा जीआईडीसी की शालु डाइंग मिल में करीब एक महीने पहले स्लैब टूटने के बाद आग भड़क उठी थी।

पिछले साल सोमनाथ मंदिर में 33 करोड़ की आय हुई

अहमदाबाद। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ महादेव मंदिर में वर्ष 2018 के दौरान रु. 33 करोड़ की आय हुई है और अगले तीन महीने में इस आंकड़े के 40 करोड़ के पार करने की संभावना है। सौराष्ट्र के वि यात सोमनाथ महादेव मंदिर में वर्ष 2018 में श्रद्धालुओं की सं या में इजाफे के साथ ही आय में भी वृद्धि हुई है। जिसमें गोलख दान, पूजा विधि, अतिथि गृहों का किराया, स्वर्ण दान और भोजनालय समेत ट्रस्ट के आय 33 करोड़ रुपए के मार हो गई। वर्ष 2012 से मंदिर के विभिन्न हिस्सों को सोने से मढने की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके तहत अब तक सोमनाथ ट्रस्ट को 120 किलो से अधिक सोना दान मिल चुका है। जिससे मंदिर के आगे के खंभे, गर्भ गृह, शिखर और मंदिर के 1500 जितने कलशों में से 300 से ज्यादा कलश स्वर्णमय हो चुके हैं। शेष कलशों को सोने से मढने की कार्यवाही जारी है। पिछले साल सामान्य के अलावा अति विशिष्ट लोगों की सं या में भी इजाफा हुआ है।

भानूशाली हत्या केस में पुलिस के हाथ अभी सबूत बिना खाली

अहमदाबाद। गुजरातभर में सनसनी मचाने वाले भाजपा के नेता जयंती भानूशाली हत्या केस में पुलिस ने घटना के समय ज नरल कोच की टिकट लेकर एसी कोच में यात्रा कर रहे चार से पांच संदिग्ध यात्रियों की पूछताछ शुरू की गई थी। जयंती भानूशाली के साथ हत्या की घटना के समय साथ में यात्रा कर रहे पवन मोरे का पर्स भी हत्यारों ने लूट लिया था, जिसे आडेसर से पुलिस ने जब्त किया था। हालांकि, राज नीतिक हत्या को दो दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी सबूत बिना खाली है। दूसरी तरफ, जयंती भानूशाली की हत्या राजनीतिक दुश्मनी केस में, निजी दुश्मनी में राजनीतिक सीनियरों की सेक्ससीडी सहित की बातें और रहस्यों को भानूशाली जानते होने से उनकी हत्या कर दी गई सहित की कई अटकलें और चर्चा आज भी चल रहे थे।

लोगों को क्वॉलिटीयुक्त सब्जी उपलब्ध होगी

कालुपूर सब्जी मार्केट को आधुनिक बनाया जाएगा

२० करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च से आधुनिक बनाने की दिशा में अहमदाबाद म्युनि. कॉर्पोरेशन द्वारा कवायद

अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर में छह दशक पुराना कालुपूर क्षेत्र में स्थित सब्जी मार्केट २० करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च से आधुनिक और हाइजेनिक बनाने की दिशा में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कवायद शुरू की गई है। प्रशासन द्वारा फिलहाल यह पूरे क्षेत्र में सर्वे का काम चल रहा है। सब्जी मार्केट के व्यापारियों, अपनी संख्या, उनको आवंटन कराने की जगह सहित के पहलूओं को ध्यान में लेकर आधुनिक सब्जी मार्केट बनाने की दिशा में कवायद शुरू की गई है।

राज्य सरकार द्वारा आज से करीब छह दशक पहले यानी कि १९६० में कोट क्षेत्र के नागरिकों के लिए कालुपूर सब्जी मार्केट बनाया गया था। कालुपूर सब्जी मार्केट की वर्षों पुरानी प्रतिष्ठा होने से शहर में से लोग सब्जी खरीदने के लिए हररोज पहुंचते है, हालांकि यह सब्जी मार्केट में अन्य सब्जी मार्केट के जैसे व्यापारियों या ग्राहकों को रोड पर वाहन पार्क करने की वजह से ट्राफिकजाम की समस्या हमेशा होती है, इसमें गंदगी, आवारा पशुओं का आतंक भी परेशानी को बढ़ा देता है। अब म्युनिसिपल कमिशनर विजय नेहरा के आदेश की वजह से मध्य जोन के शासकों ने कालुपूर सब्जी मार्केट को आधुनिक बनाने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है। कालुपूर सब्जी मार्केट में प्रशासन द्वारा टोटल स्टेशन सर्वे के तहत अभी तक में विभिन्न सबूतों के आधार पर १०८ बैठक को मंजूर किया गया है, हालांकि कालुपूर सब्जी मार्केट में भी अवैध बैठक का दूषण काफी बढ़ गया है। हाल में प्रशासन के सर्वे के काम चल रहा है इसे देखते हुए और १५० बैठक मिलाकर करीब २५८ बैठक को शासक मंजूर करे ऐसी संभावना है। अन्य प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी की सब्जी मार्केट के जैसे कालुपूर सब्जी मार्केट को भी एसीयुक्त बनाने का विचार एक समय किया जा रहा था, लेकिन अब इसे हाइजेनिक बनाने का निश्चित किया गया है, जिसके तहत सब्जी मार्केट में खुली हवा के आने जाने से माहौल ताज गीभरा रहेगा, साफ-सुथरा रहेगा। व्यापारियों-ग्राहकों के लिए चार टोइलेट ब्लोक की सुविधा उपलब्ध होगी।

एलिसब्रिज टाउनहॉल के पास कांग्रेस ने वीएस बचावो को लेकर प्रदर्शन किया गया।

गुजरात कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट के समय में बदलाव

गुजकेट की परीक्षा ३० मार्च के बदले ४ अप्रैल को ली जाएगी

अहमदाबाद। कक्षा-१२ विज्ञान प्रवाह बाद इंजीनियरिंग और फार्मसी में प्रवेश के लिए ली जाती गुजरात कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (गुजकेट) की परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार, अब यह परीक्षा ३० मार्च के बदले ४ अप्रैल को ली जाएगी। गुजकेट की परीक्षा सुबह में १० से शाम को ४ बजे के दौरान ली जाएगी। गुजकेट की यह परीक्षा कक्षा-१२ विज्ञान प्रवाह के वर्तमान कोर्स आधारित होगा। गुजकेट की परीक्षा की आवेदन पत्रों को भरने की सूचना तथा कोर्स की जानकारी पुस्तिका ऑनलाइन रखा जाएगा। आवेदन पत्र तथा परीक्षा फीस ३०० रुपया ऑनलाइन चुकाना होगा।

गुजकेट की यह परीक्षा कुल तीन माध्यम में ली जाएगी। जिसमें गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दी शामिल है। कक्षा-१२ साइंस के तीन ग्रुप ए, बी और एबी के विद्यार्थी यह परीक्षा दे सकते है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, गत वर्ष २३ अप्रैल को डिग्री इंजीनियरिंग और डिग्री-डिप्लोमा फार्मसी कोर्स में प्रवेश के लिए गुजकेट की परीक्षा ली गई थी। जिसमें पूरे गुजरात में १,३६,११८ परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हुए। जिसमें ग्रुप-ए में ६२,१७३ ग्रुप-बी में ७३,६२० और ग्रुप ए बी में ३६३ विद्यार्थी रजिस्टर्ड किए गए। हालांकि अब गुजकेट की यह परीक्षा में बदलाव होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को इसे ध्यान में लेना होगा। जिसके अनुसार, अब गुजकेट की परीक्षा ३० मार्च के बदले ४ अप्रैल को ली जाएगी।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)